


राजस्थान सरकार
निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं
महिला एवं बाल विकास विभाग
2, जल पथ, गांधी नगर जयपुर

क्रमांक-एफ.21(1)(321)पूल/आईसीडीएस/19/पार्ट-1/ 62499

जयपुर, दिनांक
25/4/2022

आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक 58733 दिनांक 19-4-2022 द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-2023 (28-2-2023 तक) के लिए आईसीडीएस सामान्य के अन्तर्गत शहरी बाल विकास परियोजना कार्यालय के लिए किराये के वाहनों की जारी स्वीकृति के क्रम संख्या 3 एवं 15 पर अंकित परियोजना कार्यालयों में दी गयी किराये के वाहनों की स्वीकृति को एतद् द्वारा विलोपित किया जाता है।



निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान जयपुर

क्रमांक-एफ.21(1)(321)पूल/आईसीडीएस/19/पार्ट-1/62500-510

जयपुर, दिनांक
25/4/2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. निदेशक, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली।
2. वित्तीय सलाहकार मुख्यालय।
3. सम्बन्धित उप निदेशक, मबावि
4. सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी
5. एसीपी मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. आदेश पत्रावली


प्रभारी अधिकारी (पूल)
समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान जयपुर